

सं. ६६८१२७/सात/सा २वीं/७१

बोपाल, दिनांक

प्राप्त,

आतिरिक्त,

कलेक्टर, कटनी,

जिला - बलरामपुर । मंगुल ।

विषय:- आयुध निर्माणी कर्मचारी गृह निर्माण सहाकारी समिति मर्गा ० कटनी को  
आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि का आबंटन वासद् ।

=====

राज्य शासन ग्राम टिकुरी तहसील मुड़वारी । कटनी । जिला बलरामपुर के  
खसत नो ५१/१३, ३०१/१, ३०१/२, ३०२/१, ३०३/१, ३०३/२, ३०४/२, ३०५/२, ३०६/२ कुल  
रकबा ३,८८५ डेकटर में से १,००,००० वर्गफुट भूमि की प्रख्याति स्मये १,३०,०००-००  
रु स्मये एक लाख तीस हजार । तथा वार्षिक भू-धीटक स्मये ६५००-०० । स्मये छः  
हजार पाँच सौ । तब आया आयुध निर्माणी कर्मचारी गृह निर्माण सहाकारी समिति मर्गा ०  
कटनी को आवासीय प्रयोजन हेतु निम्नानुसार सामान्य शर्तों के साथ ताब निम्न  
विशेष शर्तों पर स्थाई पट्टे पर स्वीकृति प्रदान करता है :-

- १।१ भूमि का आबंटन समिति द्वारा सदस्यों को उनकी सदस्यता प्राप्त होने के  
क्रम में ही किया जाना होगा । और यह सुनिश्चित करने के लिए भूमि  
आबंटन के आवेदन पत्र के साथ सामाजिक इस क्रम में सदस्यों की सूची प्रस्तुत  
करेगी ।
- १।२ शासन द्वारा सहाकारी समिति के किसी सदस्य को मान्यताित करके भू-रख  
का आबंटन नहीं करेगा ।
- १।३ सहाकारी समिति अपने किसी सदस्य को १२०० वर्गफुट से अधिक का भू-खंड  
आबंटित नहीं करेगी एवं उसकी सदस्यता को भू-खंड दिशे वाले किसी  
सदस्यता सुत्था द्वारा दिशे मर आवेदन के दिनांक से हो । इस भूमि का  
को वापस की जावे ।
- १।४ सहाकारी समिति अपने सदस्यों के प्रति यह शर्त रहेगी कि उनके अपना उनके  
किसी निकट संबंधी का प्रदेश में अन्य कोई रिहायशी भू-खंड अपना अपना  
नहीं है ।
- २/- आवेदन जारी होने की तिथि से आवेदन/सुत्था से प्रख्याति की स्मये एक  
६ भू-खंड की राशि ६ माह के अन्दर जमा करावे । यदि ये नियमों

अवधि तक पुर्व्याज व भू माटक जमा नहीं करते हैं तो इस मुद्दे में शासन के आदेश प्राप्त किए जाए ।

3/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठभूतन क्रमांक 847/भार/2046/प्र/व-5 दिनांक 31-10-90 द्वारा महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को पृष्ठभूतन की गई है ।

4/ आपके कार्यालय को राजस्व प्रकरण क्रमांक 309/अ-2011 89-90 मूलतः लौटाया जाता है ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार,

॥ पी.डी.अग्रवाल ॥

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,

पृष्ठभूतन क्रमांक एफ 6-127/सात/सा 2बी/91

श्रीपाल, दिनांक 16/9/92

प्रतिलिपि:- तीन अतिरिक्त प्रतियाँ सहित सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

श्रीपाल की ओर आदेश की प्रति महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को पृष्ठभूतन करने हेतु अर्पित ।

2/

आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर उनके आपन क्रमांक 848/एफ 3/90 दिनांक 16 जुलाई 1990 के सुचनार्थ में सूचनार्थ ।

3/ अइयस, आयुध निर्मात्री कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति कटनी जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित ।

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ।